

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB GURGAON Year (वर्ष): 2023
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0002 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 03/01/2023 12:34 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1 Day (दिन): Tuesday Date from (दिनांक से): 03/01/2023 Date To (दिनांक तक): 03/01/2023
Time Period (समय अवधि): Pahar 3 Time From (समय से): 06:30 hrs Time To (समय तक): 06:40 hrs
(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 03/01/2023 Time (समय): 06:40 hrs
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 008 Date and Time (दिनांक और समय): 03/01/2023 12:11 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 60 Km(s) Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): जिला नुहँ,
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):
District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): सुरजमल
(b) Father's Name (पिताका नाम): श्री जीत सिंह
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 01/01/1976 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
1	Present Address	बाडोपदी त0 बरवाला हिसार, HISAR, HARYANA, INDIA

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	बाडोपदी त0 बरवाला हिसार, HISAR, HARYANA, INDIA

2	Permanent Address	बाडोपदी त0 बरवाला हिसार, HISAR, HARYANA, INDIA
---	-------------------	--

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	Deo रामफल धनखड			1. जिला नुह,NUH,HARYANA,INDIA
2	Beo रमेश मलिक			1. जिला नुह,NUH,HARYANA,INDIA
3	Deeo मुकेश यादव			1. जिला नुह,NUH,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, श्री मान निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम, श्री मान जी, निवेदन यह है कि मैं सूरजमल पुत्र श्री जीत सिंह निवासी बाडोपदी त0 बरवाला जिला हिसार का रहने वाला हूँ तथा प्राईवेट तौर पर समान खरीद कर सप्लाई व दुलाई का कार्य करता हूँ और लगभग 2½ से तीन माह पहले मुझे पता चला कि सरकारी स्कूलों में हरियाणा सरकार द्वारा Dull Desk(बैंच) की आवश्यकता स्कूलों में है और Total 26 ब्लाको में सप्लाई किये जाने हैं इस सम्बन्ध मैंने नुहं (मेवात) जिला के DEO,DEEO,BEO तीनों अधिकारियों से अलग -2 सम्पर्क किया तो DEEO मुकेश यादव व BEO रमेश मलिक दोनों ने पर Dull Desk मेरे से 1000/- एक हजार की मांग की और ना देने पर आपको P.O. नहीं दिये जावेगे जिसमें दो तीन दौर कि मिटिंग के बाद 500/- रुपये में सौदा तय हुआ और Deeo को 1,50,000/- एक लाख पचास हजार ना चाहते हुए भी देने पड़े । इस प्रकार BEO रमेश मलिक ने अपना हिस्सा भी देने की बात कि और उसने भी मेरे से 1,50,000/- एक लाख पचास हजार रुपये ना चाहते हुए मेरे P.O. लेटर मुझे दिखाकर ले लिए फिर 26 P.O. लेटर मुझे देकर लौटा दिया जो 4-5 दिन बाद मुझे गुमराह करके SMC टीम के सब लोगों के शाईन करवाकर देगे जो बाद में आज तक कुछ ना दिया । यह है कि ये सारा माजरा मैंने फिर DEO रामफल सिंह धनखड को बताया तो उन्होंने भी अपनी लालची बाते शुरू कर दी और उन्होंने कोई मेरी बात ना सुनी और कहने लगे कि मेरे पास 102 के जो स्कूल है उनमें भी करीबन 5000/- Dull Desk की जरूरत है आप काम करना चाहते हैं तो 800/- रुपये पर बैच देना होगा और मैं P.O. लेटर दे दुगा जिसमें Deo रामफल सिंह ने 10,00000/- दस लाख रुपये की एंडवास पैमेन्ट की बात की और कहने लगा जो है वह आज दे दो मैं काम शुरू कर दुगा ये कह कर 2,00000/- दो लाख रुपये ले लिए और फिर जब मैं वापिस जाने लगा और P.O. लेटर मागने लगा तो केवल Dull Desk P.O. मुझे थमा दिये और शेष रुपये ले आना तो मैं भी शेष P.O. तैयार रखुगा । इस प्रकाश कमीशन के नाम पर रुपये रिशवत के तौर ले लिए हैं और अब भी मांग रहे हैं । जो इन के द्वारा रिशवत की मांग कि जो रिकार्डिंग की हुई है जो मैं आपको बाद पेश कर दुंगा मेरे से इन लोगों ने रिशवत के पैसे माह नवम्बर – दिसम्बर 2022 में Deo रामफल धनखड ने नुहं कार्यालय में लिए और रमेश मलिक ने Beo कार्यालय तावडू में लिए थे और Deeo मुकेश यादव ने भी अपने आफिस के निचे की गाडी पार्किंग में लिए जिनके वटशप चैट सभी मेरे पास है और अब Deo रामफल धनखड ने पिछले 10-12 दिन से बार-2 फोन करके PO लेटर देन की व शेष राशी लेने की बात कर रहा है और साथ ही कह रहा है कि मैं अन्य जिलों से भी काम दिलवा दुंगा जो अब मेरे से 20 हजार का इंतजाम हुआ है मैं रिशवत नहीं देना चाहता हूँ इन व्यक्तियों से मेरा कोई पुराना पैसे का लेन देन ना ही ना मेरी कोई रंजिश है । भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे ये लोग मेरे मौबाईल फोन न0 9416364093 पर बार -2 अपने फोन नम्बरो से क्रमश- Deo रामफल धनखड 9416150033 व रमेश मलिक Beo ने 9050674040 से और Deeo मुकेश यादव 8295577557 से बाते करते थे इनके खिलाफ कार्यवाही की जावे । SD Suraj Mal 9416364093, 3/1/2023 कार्यवाही पुलिस :- आज मन निरीक्षक हाजिर राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम हूँ कि शिकायतकर्ता सूरजमल ने हाजिर कार्यालय आकर भ्रष्टाचार से सम्बन्धित एक शिकायत प्रस्तुत की उक्त शिकायत के सम्बन्ध में उच्च-अधिकारियों से सूचित किया गया है शिकायत कर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत का अध्ययन करने पर जेरे धारा अपराध 7 PC ACT का घटित होना पाये जाने पर अभियोग अंकित करवाने हेतु ASI बसन्त कुमार न0 138/JJR के माध्यम से थाना रा0 चौ0 ब्यूरो गुरुग्राम भेजा जा रहा है । इस सम्बन्ध में अभियोग अंकित किया जाकर अभियोग संख्या से सूचित किया जावे । अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट , स्पेशल वाहक द्वारा ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्चअधिकारियों को भिजवाई जावे । रैडिंग पार्टी तैयार करके रैडिंग पार्टी में निरीक्षक जय चन्द 339/RWR, SI सतीश 1706/FBD, ESI अतर सिंह न0 178/RWR, EHC दिनेश न0 1144 RWR, C अनुप न 1045/GGM, सहित सरकारी गाडी न. HR03Z-9500 चालक C ऐजाज को शामिल किया गया है । स्वतंत्र गवाह / राजपत्रित अधिकारी श्री रामेश्वर दास SE, HSVP SEC -14 GGM व छाया गवाह- श्री अशोक कुमार Head Draftman HSVP SEC -14 GGM को सूचित करके बुलाया गया है । मैं साथी पुलिस कर्मचारियों, शिकायतकर्ता सूरजमल , स्वतंत्र गवाह छाया गवाह सहित सरकारी गाडियों व तपतीशी बैग सहित घटनास्थल का रवाना होता हूँ । अज- राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम, नि0 जय पाल राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम दिनांक 3-1-2023 at 6.30 AM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो सेवा में ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पेशल रिपोर्ट इलाका मैजिस्ट्रेट साहब नुहं बदस्त ASI बसन्त कुमार न0 138/JJR के भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की असल मिशाल पुलिस मय आमदा तहरीर बराये तपतीशी नि0 जयपाल रा0 चौ0 ब्यूरो गुरुग्राम के पास भेजी जा रही है । आरिन्दा ASI बसन्त कुमार न0 138/JJR के हवाले की गई । नोट- श्री मान जी, CCTNS में तकनीकी खराबी के कारण CCTNS में प्र0 सु0 रिपोर्ट के हालात दर्ज नहीं किये गये और ना ही रपट दर्ज कि गई अत अब CCTNS चालु होने पर प्र0 सु0 रिपोर्ट की रपट दर्ज की गई है

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Jaipal Rank (पद): I (Inspector)
No. (सं.): 94 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना
प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): KULDEEP SINGH

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर
/अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1968				Is pox pitted: Yes
2	Male	01/01/1980				Is pox pitted: Yes
3	Male	01/01/1976				Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)